



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प धांयू

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धांयू व भूअ.नि. धांयू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार धुड / नायब तहसीलदार — की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धांयू तहसील धुड व जिला धुड की जमाबन्दी सम्वत् 2020-2023 में खाता संख्या 370 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------|-------------|--|--|
| 1 | धांयू | 370 | नोपचन्द पुत्र सांक्सराम हिस्सा 1/2 आति आर निवासी दादर जातेदा | नोपचन्द पुत्र सांक्सराम हिस्सा 1/2 आति आर निवासी दादर जातेदा |

Am 18/10/21
पीठासीन अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 120/2021

दिनांक :- 18/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धुड को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नोपचन्द पुत्र सांक्सराम आति आर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। नि दादर तहसील धुड

रा० क्र० 1744
18-10-2021

Am 18/10/21
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)